राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 21.09.2015

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक बैठक दिनांक 21.09.2015 में योजनाओं में वित्तीय प्रगति तथा योजना स्वीकृत करने की समीक्षा की गयी जो कि असंतोषजनक पायी गयी। इस संबंध में विभाग की योजनाओं में 90 प्रतिशत प्रगति अर्जित करने के लिए निम्न कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गयेः–

1. थर्ड पार्टी निरीक्षण के संबंध में विभिन्न इन्जिनियरिंग कालेजों के साथ बैठक में लिये गये निर्णयानुसार अंतिम आदेश का ड्राफ्ट तैयार कर पत्रावली प्रस्तुत कर दी है।
(एसई,आईएवाई)
2. इन्दिरा आवास योजना में कम प्रगति वाले प्रत्येक जिले से एक विकास अधिकारी के खिलाफ 16/17सीसी चार्जशीट बनाने के निर्देश दिये गये। आवास योजना के एकाउन्ट फ्रीज करने हेतु 15 दिवस में ट्रेनिंग दी जाए।
योजना में वर्ष 2015–16 की सभी स्वीकृतियॉ 30 सितम्बर 2015 तक जारी की जाए तथा दूसरी किश्त 31 दिसम्बर 2015 तक जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
अल्पसंख्यकों के परिवारों को आवास योजना की प्रतिक्षा सूची से सत्यापित करके तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी से प्रमाण पत्र लेकर ही इसके लक्ष्यों को निर्धारित किया जायेगा।
(एसई, ग्रा.वि.)
3. विभाग की आईडब्ल्यूएमएस वैबसाईट की बैठक दिनांक 30.09.2015 को रखी जाये। साथ ही इस संबंध में बनाये जा रहे मोबाईल एप का प्रजेन्टेशन भी रखा जाए।
(पीडी,मोएवंमू)
4. डांग, मगरा, मेवात योजना में 20 प्रतिशत प्रस्ताव रिजर्व रखे है उसके संबंध में जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को मा0 मंत्री महोदय को अनुमोदन हेतु भेजे जाए और यदि बाद में और प्रस्ताव प्राप्त होते है तो अलग से भेजे जा सकते है। इस सप्ताह ओर प्रस्ताव प्राप्त हो गये है।
(अति0मुख्य अभि0 ग्रा.वि.)
5. डांग, मगरा, मेवात योजना में अलवर, भरतपुर एवं भीलवाडा जिले को स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण उन्हें नोटिस जारी किया जाये।
(अति0मुख्य अभि0 ग्रा.वि.)
6. ए– वित्तीय सलाहकार ऐसी ग्राम पंचायते (2250) जिनमें में टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। उनकी समीक्षा करें एवं उन्हें पत्र जारी करा कर उनकी टेण्डर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करायी जाए।
(वित्तीय सलाहकार)
बी– ग्राम पंचायतों में टेण्डर करने की तिथि इस प्रकार की जाए कि एक अप्रेल से पहले–पहले अंतिम सूची उपलब्ध रहने के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण विकास द्वारा

अग्रिम कार्यवाही की जायेगी तथा इसकी पत्रावली मा0 मंत्री महोदय को भेजी जाकर तुरंत आदेश जारी कराये जाए

(एसई,ग्रा.वि.)

7. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 167 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। इन्हें वैबसाईट पर डाला जाए।

(पीडी,एसएपी)

8. लम्बित विधान सभा प्रश्नों के संबंध में निदेशक, डीएलबी, निदेशक समाज कल्याण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर व अन्य. तथा अन्य योजना प्रभारियों के साथ शासन सचिव महोदय की बैठक रखी जाए।

(योजना प्रभारी)

9. बीएडीपी में राशि 130 करोड की स्वीकृतियॉ जारी हुई है तथा प्रस्ताव उपलब्ध है इनकी 30 सितम्बर 2015 तक स्वीकृतियॉ जारी की जाए।

10. भारत सरकार द्वारा बीएडीपी योजना में लगभग 40 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि देने के लिए प्रस्ताव गये है। इसमें मोडल विलेज, विद्युतीकरण, स्कूलों का आधुनिकरण व अन्य कार्यो के प्रस्ताव आगामी सप्ताह तक प्राप्त कर भारत सरकार को भेजे जाये।

(योजना प्रभारी)

11. सभी योजना प्रभारी 150 प्रतिशत राशि की स्वीकृतियों के आदेश जारी कराए।

(समस्त योजना प्रभारी)

12. विभागीय योजनाओं की यूसी/सीसी समायोजन की स्थिति की समीक्षा आईडब्ल्यूएमएस पर पर समीक्षा की जाएगी।

(वित्तीय सलाहकार)

परि0निदे0 एवं पदेन
उप सचिव (मोएवंमू)

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-</u>

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी-एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. अति0 मुख्य अभियन्ता (सीएसएस) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)